समक्ष हरसीमरन सिंह सेठी, न्यायमूर्ति

कुलविंदर सिंह- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -प्रतिवादीगण

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8116 का 2016

नवंबर 28,2019

भारत का संविधान-अनुच्छेद 12,226-सहकारी समिति अधिनियम, 1961-एक सहकारी समिति के खिलाफ रिट याचिका को बनाए रखना-वेतन देने के लिए सहकारी समिति को निर्देश देने की मांग-आयोजित, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि रिट याचिका केवल सरकार या राज्य के एक साधन के खिलाफ बनाए रखने योग्य है जैसा कि अनुच्छेद 12 के तहत परिकल्पना की गई है- एक सहकारी समिति एक राज्य का साधन होने के लिए सरकार के गहरे और व्यापक नियंत्रण में होनी चाहिए, न केवल प्रशासनिक रूप से बल्कि वित्तीय रूप से भी-तथ्यों पर, यह नहीं बताया जा सकता है कि क्या सहकारी समिति का सरकार द्वारा वित्त बढाया गया था या कोई अधिकारी समिति को नियंत्रित कर रहा था-याचिका बनाये रखने योग्य नहीं है।

आयोजित कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि रिट याचिका केवल राज्य की सरकार या राज्य के तंत्र जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिकल्पित है ! भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं कि कब सहकारी समिति को राज्य के एक साधन के रूप में माना जा सकता है ताकि रिट याचिका बनाई रखी जा सके। महाप्रबंधक, किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सुल्तानपुर, यू. पी. बनाम शत्रुघ्न निषाद और अन्य, 2003 (8) एस. सी. सी. 639 में, शत्रुघ्न निषाद (ऊपर) के मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सहकारी समिति पर न केवल प्रशासनिक रूप से बल्कि वित्तीय रूप से भी सरकार का गहरा और प्रेरक नियंत्रण होना चाहिए, ताकि उक्त सहकारी समिति को राज्य का एक साधन माना जा सके। शत्रुघ्न निषाद के मामले (उपरोक्त) में, जहां सरकार का 50 प्रतिशत हिस्सा था, उसे रिट अधिकार क्षेत्र के लिए गैर-स्वीकार्य माना गया था।

(पैरा 6)

आगे कहा कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आवश्यक कारकों में से एक को भी दर्शाने में सक्षम नहीं हैं ताकि प्रतिवादी संख्या 3 को राज्य की साधनता के रूप में माना जा सके।इस न्यायालय को यह नहीं दिखाया गया है कि क्या हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवादी नं.3-सहकारी समिति को कोई वित्त बढाया गया है या कोई अधिकारी प्रतिवादी नं.3- सहकारी समिति को किसी भी तरह से प्रशासनिक रूप से नियंत्रित कर रहा है। शत्रुघ्न निषाद

के मामले (उपरोक्त) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को वर्तमान मामले में पूरा नहीं किया गया है ताकि उक्त सहकारी समिति को राज्य का साधन माना जा सके ताकि इस न्यायालय की रिट अधिकारिता के लिए उत्तरदायी हो।

(पैरा 8)

आगे आयोजित कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिकाएं, जो प्रतिवादी नं.3- सहकारी समिति के खिलाफ वेतन अनुदान के लिए निर्देशित हैं, उन्हें बनाए रखने योग्य नहीं माना जाता है।

(पैरा 9)

शेरी के. सिंगला, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं के लिए (सभी रिट याचिकाओं में)
साफिया गुप्ता, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।
जे. पी. राणा, अधिवक्ता
जे. एस. जैदका के लिए, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए (2016 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8116 और 7531 में)।प्रदीप सोलाथ, अधिवक्ता
प्रतिवादी नं.3 के लिए
(2016 के सी. डब्ल्यू. पी. Nos.11915,20808,20817 और 21382 और 2017 के 2631 में)।

हरसीमरन सिंह सेठी, न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) इस सामान्य आदेश द्वारा, सात रिट याचिकाओं का निपटारा किया जा रहा है, जिनका विवरण इस आदेश के शीर्षक में दिया गया है, जिसमें कानून का एक ही सवाल और समान तथ्य हैं। सुविधा के लिए तथ्य 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. No.8116 से निकाले जा रहे हैं।

(2) वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा जो प्रार्थना की जा रही है, वह यह है कि प्रतिवादी नं. 3-सहकारी समिति को याचिकाकर्ता को रु०.950-1500 01.01.1991 से प्रभावी का नियमित वेतनमान देने का निर्देश दिया जाए। दावा इस आधार पर किया गया है कि अन्य सहकारी समितियों में काम करने वाले समान रूप से स्थित कर्मचारियों को उक्त वेतनमान दिया गया है और इसलिए, प्रतिवादी नं.3-सहकारी समिति को समान काम के लिए समान वेतन के सादृश्य पर रु०.950-1500 का वेतनमान देने का भी निर्देश दिया जाए।

(3) प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील एक प्रारंभिक आपत्ति उठाते हैं कि प्रतिवादी नं.3-सहकारी समिति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के साधन के रूप में

नहीं माना जा सकता है ! क्योंकि सरकार का उक्त सोसायटी पर वित्तीय या प्रशासनिक रूप से कोई नियंत्रण नहीं है।

(4) प्रतिवादीगण के विद्वान वकील का कहना है कि एक बार जब हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 3-सहकारी समिति को कोई वित्त प्रदान नहीं किया जाता है और सोसायटी का प्रबंधन हरियाणा सरकार के अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, तो रिट याचिका बनाये रखने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

(5) मैंने रिट याचिका को बनाये रखने के आधार पर पक्षों के लिए विद्वान वकीलो को सुना है।

(6) यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि रिट याचिका केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिकल्पित राज्य की सरकार या साधन के खिलाफ बनाए रखने योग्य है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं कि कब सहकारी समिति को राज्य की एक साधन के रूप में माना जा सकता है ताकि रिट याचिका बनाए रखी जा सके।महाप्रबंधक **किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सुल्तानपुर, यू. पी. बनाम शत्रुघ्न निषाद और अन्य**1 में शत्रुघ्न निषाद के मामले (उपरोक्त) में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सहकारी समिति पर न केवल प्रशासनिक रूप से बल्कि वित्तीय रूप से भी सरकार का गहरा और प्रेरक नियंत्रण होना चाहिए, ताकि उक्त सहकारी समिति को राज्य का एक साधन माना जा सके। शत्रुघ्न निषाद के मामले (उपरोक्त) में, जहां सरकार का 50 प्रतिशत हिस्सा था, उसे रिट अधिकार क्षेत्र के लिए गैर-स्वीकार्य माना गया था।उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है:-

> 7. प्रदीप कुमार विश्वास बनाम भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान और अन्य (2002) 5 एस. सी. सी. 111 के मामले मे इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ ने अपने निर्णय के पैरा 27 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण मामले (उपरोक्त) में प्रस्तावित उपरोक्त परीक्षणों को नोट किया है और अनुमोदन के साथ उद्धृत किया है और अजय हासिया (उपरोक्त) के मामले में यह निर्धारित करने के लिए अनुमोदित किया है कि निगम को कब सरकार का एक साधन या एजेंसी कहा जा सकता है ताकि संविधान के अनुच्छेद 12 में 'प्राधिकरण'अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर आ सके।वहां पीठ ने चंदर मोहन खन्ना बनाम एन. सी. ई. आर. टी. (1991) 4 एस. सी. सी. 578 के मामले को संदर्भित किया, जहां संघ के ज्ञापन पर विचार करने के बाद और नियमों के अनुसार, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एन. सी. ई. आर. टी. काफी हद तक एक स्वायत्त निकाय था और इसकी गतिविधियाँ पूरी तरह से सरकारी कार्यों से संबंधित नहीं थीं और सरकारी नियंत्रण केवल अनुदान के उचित उपयोग तक ही सीमित था और चूंकि इसका वित्त पोषण पूरी तरह से

सरकारी संसाधनों से नहीं था, इसलिए यह मामला संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था।इसके अलावा, उस मामले में मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मैसूर पेपर मिल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन और एक अन्य, (2002) 2 एस. सी. सी. 167, मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था।, जहां यह आयोजित किया गया था कि कंपनी संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक प्राधिकरण थी क्योंकि यह सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित और वित्तीय रूप से नियंत्रित थी, जिसका प्रबंधन सरकार के कहने पर नामित और हटाने योग्य निदेशक मंडल द्वारा किया जाता था और सरकार के नियंत्रण में जनहित के महत्वपूर्ण कार्य करता था ।"

(7) इसके अलावा, इस न्यायालय ने 2014 के सी. डब्ल्यू. पी. नं.10234 जिसका शीर्षक **राजबीर सिंह बनाम द सोनीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोनीपत और अन्य है निर्णित 15.09.2018 का निर्णय लेते हुए यहाँ तक माना है** कि सोनीपत केंद्रीय सहकारी बैंक को भी इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया है।यह न्यायालय

शत्रुघ्न निषाद के मामले (ऊपर) पर भरोसा करने के लिए कि

सहकारी समितियाँ इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं हैं राजबीर सिंह के मामले (ऊपर) का निर्णय निम्नानुसार है:-

1. यह आदेश 2014 के सी. डब्ल्यू. पी. नं.10234 राजबीर सिंह बनाम सोनीपत केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड सोनीपत और अन्य & 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. नं.11291, श्री. जाकिर हुसैन और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का रखरखाव के बिंदु पर निपटारा करेगा ।

2. ना तो बजाना खुर्द कोऑपरेटिव कैश एंड क्रेडिट सर्विस सोसाइटी लिमिटेड – प्रतिवादी नं.2 सी. डब्ल्यू. पी. -10234-2014 में और ना ही रावली प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड प्रतिवादी नं.4, सी. डब्ल्यू. पी. 11291-2015 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है।ये प्राथमिक सहकारी समितियाँ हैं जो किसी भी कानून के तहत नहीं बनाई गई हैं। ना तो इन प्राथमिक समितियों पर कोई वैधानिक कर्तव्य डाला गया है और न ही याचिकाकर्ताओं को रिट अधिकार क्षेत्र में राहत देने का संबंधित अधिकार है।

3. दोनों रिट याचिकाओं में ना तो राज्य और ना ही प्रतिवादी बैंकों की इन प्राथमिक सहकारी समितियों पर कोई पर्याप्त वित्तीय हिस्सेदारी, कामकाज आदि पर गहरा और व्यापक नियंत्रण है और इसलिए, वे संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर अनुच्छेद 226 या "राज्य"में अन्य प्राधिकरणों के रूप में योग्य नहीं हैं।

4. याचिकाकर्ताओं ने उन निर्णयों पर भरोसा किया है जिनको 1995 के सी. डब्ल्यू. पी. नं.11147, श्री बलबीर सिंह और अन्य बनाम द समसपुर को-ऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी (मिनी बैंक) समसपुर निर्णित **13 नवंबर, 1995,1997 का सी. डब्ल्यू. पी. नं.1590, बानी सिंह और अन्य बनाम द कैलाना को-ऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड (मिनी बैंक), कैलाना निर्णित 26 मई, 1997 और 1997 का सी. डब्ल्यू. पी. नं.1591, राम मेहर और अन्य बनाम द सीतावली को-ऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड (मिनी बैंक), कैलाना निर्णित** 26 मई, 1998 में देखा जा सकता है। इनमें से किसी भी मामले में प्राथमिक सहकारी ऋण और सेवा समिति कर्मचारी, सेवा नियम, 1992 के नियम-9 और नियम 13.1 पर विचार नहीं किया गया था जो नियम समेकित वेतन प्रदान करते हैं।इसलिए, ये मामले कानून के आधार पर अलग-अलग हैं।

5. अधिकारिता के बिंदु पर, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाप्रबंधक, किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सुल्तानपुर, यू. पी. बनाम शत्रुघ्न निषाद और अन्य, जे. टी. 2003 (8) एस. सी. 235 को रखरखाव के बिंदु पर लाभप्रद रूप से पढ़ा जा सकता है।

6. तदनुसार, रिट याचिकाओं को रखरखाव के अभाव में खारिज कर दिया जाता है।"

(8) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आवश्यक कारकों में से एक को भी दर्शाने में सक्षम नहीं हुए हैं ताकि प्रतिवादी संख्या 3 को राज्य का साधन माना जा सके।इस न्यायालय को यह नहीं दिखाया गया है कि क्या हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवादी No.3-सहकारी समिति का कोई वित्त बढाया गया है या कोई अधिकारी प्रतिवादी नं.3 सहकारी समिति को किसी भी तरह से प्रशासनिक रूप से नियंत्रित कर रहा है। शत्रुघ्न निषाद के मामले (उपरोक्त) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को वर्तमान मामले में पूरा नहीं किया गया है ताकि उक्त सहकारी समिति को राज्य का साधन माना जा सके ताकि इस न्यायालय की रिट अधिकारिता के लिए उत्तरदायी हो।

(9) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिकाएं, जो प्रतिवादी नं.3 सहकारी समिति के खिलाफ वेतन अनुदान के लिए निर्देशित हैं, उन्हें बनाए रखने योग्य नहीं माना जाता है।

(10) हालाँकि, याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के तहत सहकारी समिति के पंजीयक से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।

(11) प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि यदि याचिकाकर्ता शिकायत के निवारण के लिए सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत सहकारी समिति के

पंजीयक से संपर्क करता है, तो याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर ऐसे किसी भी अनुरोध की प्राप्ति से 3 महीने की अवधि के अन्दर उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

(12) रिट याचिकाओं को प्रतिवादी नं.3 सहकारी समिति के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं माना जाता है, लेकिन स्वतंत्रता, जैसा कि पहले कहा गया है, प्रदान की जाती है।

(13) सभी रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है ! सभी व्यव्हारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा !

आजाद सिंह (अनुवादक)